(गोरख पाँडेय की कविता)

समझदारों का गीत

हवा का रुख़ कैसा है, हम समझते हैं
हम उसे पीठ क्यों दे देते हैं, हम समझते हैं
हम समझते हैं ख़ून का मतलब
पैसे की क़ीमत हम समझते हैं
क्या है पक्ष में विपक्ष में क्या है, हम समझते हैं
हम इतना समझते हैं
कि समझने से डरते हैं और चुप रहते हैं

चुप्पी का मतलब भी हम समझते हैं
बोलते हैं तो सोच–समझकर बोलते हैं हम
हम बोलने की आज़ादी का
मतलब समझते हैं
टटपुंजिया नौकरियों के लिए
आज़ादी बेचने का मतलब हम समझते हैं
मगर हम क्या कर सकते हैं
अगर बेरोज़गारी अन्याय से
तेज़ दर से बढ़ रही हो
हम आज़ादी और बेरोज़गारी दोनों के
ख़तरे समझते हैं
हम ख़तरों से बाल–बाल बच जाते हैं
हम समझते हैं
हम क्यों बच जाते हैं, यह भी हम समझते हैं

हम ईश्वर से दुखी रहते हैं अगर वह
सिर्फ़ कल्पना नहीं है
हम सरकार से दुखी रहते हैं
कि समझती क्यों नहीं
हम जनता से दुखी रहते हैं
कि भेड़ियाधसान होती है
हम सारी दुनिया के दुख से दुखी रहते हैं
हम समझते हैं
मगर हम कितना दुखी रहते हैं यह भी
हम समझते हैं
यहां विरोध ही वाजिब क़दम है
हम समझते हैं
हम क़दम–क़दम पर समझौता करते हैं
हम समझते हैं
हम समझौते के लिए तर्क गढ़ते हैं
हर तर्क को गोल–मटोल भाषा में
पेश करते हैं, हम समझते हैं
हम इस गोल–मटोल भाषा का तर्क भी
समझते हैं

वैसे हम अपने को किसी से कम
नहीं समझते हैं
हम स्याह को सफ़ेद और
सफ़ेद को स्याह कर सकते हैं
हम चाय की प्यालियों में
तूफ़ान खड़ा कर सकते हैं
करने को तो हम क्रांति भी कर सकते हैं
अगर सरकार कमज़ोर हो
और जनता समझदार
लेकिन हम समझते हैं
कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं
हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं
यह भी हम समझते हैं।

पेज 1 का शेष

अदालतों पर विश्वास किसे!

यह सब होते हुए भी भारतीय अदालतों को कभी 'अवमानना' का भूत नहीं सताता। ग़रीब जनता की जेब में तो इतने पैसे ही नहीं होते कि वे ज़िला अदालतों तक भी पहुंच सकें। हाईकोर्टों व सुप्रीमकोर्ट की तो बात ही क्या। यह बात अलग है कि 'अवमानना' के हथियार से उन्हें शीशा दिखाने वालों पर शामत जरूर ढाई जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात दंगों में हत्यारों को तो आज़ाद छुट्टा रहने दिया पर दंगों में बलात्कार व लूट की शिकार व चश्मदीद गवाह ज़ाहिरा शेख को जरूर सज़ा सुना दी। इसी प्रकार चंडीगढ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी के कानून विभाग के सम्मानित प्रोफ़ेसर सक्सेना ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट अहमदी,जो न्यायिक भ्रष्टाचार के पर्यायवाची माने जाते हैं, के विरुद्ध भ्रष्टाचार की याचिका दायर की तो उन्हें सीधे एक वर्ष के लिये तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

क्या किसी से छिपा है कि क्यों और किसको विश्वास है अदालती व्यवस्था पर?

बलात्कारी आसाराम का वकील 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया'

तब से आसाराम व उसके बेटे नारायण सांई के खिलाफ़ कई अन्य महिलाओं द्वारा यौन शोषण के आरोप लगाये गये हैं। यह चित्र सामने आ रहा है कि अहमदाबाद स्थित उसके आश्रमों का उपयोग महिलाओं के ऐसे ही शोषण के लिये किया जाता रहा है।

इस पृष्ठभूमि में 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' जैसे तथाकथित राष्ट्रीय अखबार का आसाराम के पक्ष में उतरना पहली नज़र में आश्चर्यचकित करता है। दरअसल 'स्पीकिंग ट्री' के नाम से यह अखबार एक साप्ताहिक परिशिष्ट देता है जिसकी टोन आध्यात्मिक होती है। इसमें बड़ी संख्या में ढकोसलेबाज़ी भी शामिल रहती है। इस तरह यह अखबार उस पाठकवर्ग में पैंठ बनाये रखना चाहता है जो अध्यात्म के नाम पर आसाराम जैसों के पाखंड का शिकार होता है। आसाराम भी इस परिशिष्ट के नायकों में से एक रहा है। 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' की चिंता यही है कि आज एक का भांडा फूटा है, कल को औरों का नम्बर भी आ सकता है। क्या आसाराम को गृहस्थ धर्म-उपदेशक हाने से यह छूट मिल जाती है कि वह जिसका चाहे बलात्कार करे और आश्रम को यौनाचार के अड्डे में बदल दे। 'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' ने अपने तर्क की मजबूती में स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे आध्यात्मिक गुरूओं के गृहस्थ होने का हवाला दिया है। पर यह नहीं बताया कि आसाराम जैसे बलात्कारी से स्वामी परमहंस की तुलना करना किस तरह संगत है?

आसाराम पर व्यभिचार एवं बलात्कार के आरोप हैं। उसके पक्ष में खड़े होना 'टाइमस ऑफ़ इंडिया' की व्यवसायिक बाध्यता हो सकती है। पर इस अखबार को हिन्दू धर्म या गृहस्थ धर्म को बीच में घसीटने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये।

"जान भारतीयों की, मुनाफ़ा अमरीकियों का।"

अमेरिका ने भारत से मांग की है कि उसे भारत के 'न्यूकलियर सप्लायर्ज लाय बिलिटिज एक्ट' से छूट दी जाये। इस कानून के अनुसार किसी दुर्घटना के होने पर जान व माल के नुकसान का हर्जा-खर्चा उपकरण व ईंधन सप्लाई करने वाली कंपनी को देना होगा। इससे छूट मांगने का सीधा-सीधा अर्थ यह है कि वे तो माल सप्लाई (वह भी पुराना धुराना) करके और मोटा मुनाफ़ा कमा के चले जायें और किसी दुर्घटना पर होने वाले सारे नुक्सान की भारपाई व मुआवजा भारत सरकार देती फिरे चाहे दुर्घटना खराब माल के कारण ही क्यों न हुई हो। ध्यान रहे कि परमाणु रिएक्टरों की दुर्घटना का असर बहुत व्यापक क्षेत्र में और लम्बे समय तक रहता है। लेकिन जैसे भोपाल में हुई यूनियन कार्बाईड की फैक्ट्री की दुर्घटना में हज़ारों भारतीयों की जान लेने के बावजूद यूनियन कार्बाईड को कोई खास सज़ा नहीं दी जा सकी उसी तरह इन अमरीकी कंपनियों को भी भारतीयों की जान से खेलने की खुली छूट दिये जाने की इनकी मांग है। ध्यान रहे कि कम्युनिष्टों ने पिछले कांग्रेस राज्य (2004-2009) में इस कानून के बनाने पर पूरा जोर दिया था ताकि कोई विदेशी भारतीयों की जान के साथ फ़िर यूनियन कार्बाईड की तरह खिलवाड़ न कर सके। और हमारे प्रधानमंत्री विदेशी कंपनियों को यह छूट देने की पुरजोर कोशिश कर रहे थे। देश की जनता को सचेत रहना चाहिए कि कांग्रेस सरकार यह छूट न देने पाये वरना उनको भी यहां से भगाकर अमरीका का ही रास्ता दिखा दिया जाना चाहिए।

-अजातशत्रु

शहनाज़ : मुज़फ़्फ़र नगर का दंगा

विकास नारायण राय

मुज़फ़्फ़र नगर में दंगा पीड़ित मुसलमानों के कैम्प में घूम रहा हूं।

कहा जा रहा है कि ये हिंदु-मुस्लिम दंगे हैं, लेकिन सारे कैम्प सिर्फ मुसलमानों के ही क्यों हैं?

एक भी हिंदु दंगा पीड़ित शिविर नहीं है।

ये बदमाशी ठीक नहीं है।

फुगाना गाँव की पांच मुसलमान लड़कियों से मिला।

इनके साथ पिछले महीने दंगों में बलात्कार किया गया।

इन्होने नामज़द रिपोर्ट लिखाई है। लेकिन बलात्कारी खुलेआम घूम रहे हैं।

कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है।

फुगाना गाँव के ही अल्ताफ की पांच साल की बेटी सानिया दंगों में गुम हो गयी है।

अल्ताफ ने मुझे एक तरफ ले जाकर पूछा कि क्या मैं उसकी खो चुकी बेटी को वापिस दिलवा सकता हूँ?

मैं ही जानता हूँ कि अल्ताफ के सामने मैंने अपनी रुलाई कैसे रोकी थी।

हडौली गाँव की बूढ़ी हफीज़न का अट्ठारह साल का बेटा आसमुहम्मद भी दंगों के बाद से नहीं मिल रहा है।

हफीज़न ने भी कहा है कि उसके बेटे को खोजने में मैं भी मदद करूँ।

फुगाना गाँव के दिलशाद का बीस साल का जवान भाई शफीक भी दंगे में गुम हो गया है।

आठ सितम्बर को फुगाना गाँव में मुसलामानों के तीन सौ घर जलाए गए। दो लोग क़त्ल किये गए।

पांच सौ मुसलमान परिवार फुगाना गाँव से जान बचा कर निकले और अपने ही देश में शरणार्थी बना दिए गए।

कैम्प में रहने को मजबूर मुसलमान क्रोधित नहीं है। मैंने इनकी आँखों में कोई गुस्सा या बदले का कोई भाव नहीं देखा।

लेकिन ये लोग हैरान ज़रूर हैं। हैरानी इस बात पर कि हमने तो कोई गुनाह नहीं किया। फिर हम पर ये जुल्म क्यों किया गया?

इन्हें बेचारे गाँव के मुसलमानों को क्या पता कि मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए मुसलमानों की जिंदगी पर हमले कितने ज़रूरी हैं।

वक़्त निकाल कर एक बार आप लोग भी इन लोगों से मिलने आइये।

आपके सोचने का तरीका बदल जायेगा।

मुज़फ्फर नगर के गाँव 'लाख' में आठ सितम्बर को मुसलमानों की बस्ती में आग लगा दी गयी। ग्यारह मुसलमानों को मार दिया गया। फुगाना गाँव में दंगाइयों द्वारा मुकीम के घर के दरवाज़े धम धम पीटे जाने लगे।

मुकीम अपनी तीन बेटियों और अपनी पत्नी के साथ घर में ही था।

जान बचाने के लिए मुकीम और उसकी पत्नी अपनी तीनों बेटियों को लेकर घर के पिछले दरवाज़े से निकल कर खेतों की तरफ भागे।

दो बेटियों को मुकीम और उसकी पत्नी ने गोद में उठाया हुआ था।

चौदह साल की बड़ी बेटी शहनाज़ सबसे पीछे थी।

पूरा परिवार तेज़ी से भाग रहा था।

तभी बड़ी बेटी शहनाज़ गिर पड़ी।

मुकीम और उसकी पत्नी ने देखा शहनाज़ के पास तलवारें लेकर गाँव के लड़के पीछा करते हुए पहुँच चुके थे।

उन्होंने शहनाज़ के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए थे।

मुकीम जानता था कि रुकने का मतलब पूरे परिवार की मौत है।

मुकीम ने अपनी पत्नी से कहा भाग।

शहनाज़ चिल्लाती रही अब्बा मुझे बचा लो मुझे छोड़ कर न जाओ।

लेकिन मुकीम नहीं रुका।

शहनाज़ फिर कभी नहीं मिली।

आज मुझे मुकीम मिला था।

वह मुझे पुलिस में की गयी शिकायत दिखा रहा था।

उसने पुलिस को दंगाइयों के नाम भी लिखवाये हैं।

आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है।

नूरदीन की उम्र नब्बे साल है।

वो कह रहे थे मैंने बंटवारा देखा था।

अब ये पागलपन फिर से जाग गया।

नूरदीन अपने परिवार के साथ नहीं भाग पाये।

फुगाना गाँव की मुसलमानों की पूरी बस्ती वीरान हो गयी थी।

नूरदीन घर में अकेले रह गये थे।

दंगाइयों में से किसी ने कहा कि इसे क्या मारना ये तो भूख से ऐसे ही मर जायेगा।

नूरदीन बारह दिन अपने घर में अकेले बंद रहे।

नूरदीन को घर में पोते के थैले में भुने हुए चने मिले।

नूरदीन के दांत नहीं हैं इसलिए वह चनों को सील पर पीस कर खाते रहे। बारह दिन के बाद उनके घर वाले सीआरपीएफ के साथ आकर नूरदीन को निकाल कर लाये।

फुगाना गाँव का आसिफ लोई कैम्प में रहता है। आसिफ चार अक्टूबर को फुगाना गाँव में अपने जले हुए मकानों से अपना बचा हुआ सामान लेने गया था।

सीआरपीएफ और पुलिस वाले भी साथ में थे। गाँव के हिंदू जमा हो गए। आसिफ से कहा गया कि इस कोरे कागज पर दस्तखत कर तब तुझे सामान ले जाने देंगे।

आसिफ ने कहा कि कोरे कागज पर दस्तखत कैसे करूँ? इस पर कुछ लिखिए तो सही।

आसिफ को पुलिस के सामने ही हिंदुओं ने इतना मारा कि उसका दांत टूट गया।

बच्चों के स्कूल के सब कागजात घरों में जल गए हैं। स्कूल जाना बंद है।

करीब अस्सी हज़ार मुसलमान राहत कैम्पों में और रिश्तेदारों के यहाँ पड़े हुए हैं। इनके वापिस जाने की अभी कोई सूरत नज़र नहीं आ रही है। ■